न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म0प्र0

(114)

R. 5117-दो/16

गिरजा प्रसाद द्विवेदी तनय स्व0 श्री श्रीनिवास द्विवेदी निवासी मोहल्ला पड़रा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 ——————निगरानीकर्ता

बनाम

1— शिवकुमार तनय सिंघा नाई

2— शेषपाल तनय श्री रामप्रसाद नाई,

3— बाबूलाल नाई तनय श्री सिंघा नाई, सभी निवासी ग्राम तुर्कहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 ———गैरनिगरानीकर्तागण

श्री सत्यानन्द पाण्डेय एड. द्वारा पेश। 3.3.16

3.3.16

निगरानी विरूद्ध तह0 नायब तहसीलदार हुजूर जिला रीवा प्रकरण क्र0—54/अ 6अ/15—16 दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता

मान्यवर्

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यहकि आवेदक/निगरानींकर्ता ने जब वर्ष 2015 के गश्ती खसरा का अवलोकन किया, जिसमें भूमि खसरा क्र0—66/1, 66/2क व 66/3 स्थित ग्राम तुर्कहा 260, हल्का करहिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा का रकवा कमशः 0.061हे0 शिवकुमार तनय सिंघा नाई, 0.061हे0 बाबूलाल तनय सिंघा नाई को आराजी खसरा क्र0—66/3 अंकित है, एवं आराजी खसरा क्र0—66/2क शेषपाल वगैरह तनय रामप्रसाद नाई के नाम रकवा 0.053हे0 सहवन त्रुटिवश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5117–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 54/अ6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि रकवा सीमांकन के आधार पर कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। स्वत्व अनुसार दर्ज होता है। इसी आधार पर तहसीलदार ने आवेदक के रकवा अंकित किये जाने संबंधी आवेदन को निरस्त किया है। तहसीलदार द्वारा स्वत्व के आधार पर ही रकवा अंकित किये जाने संबंधी जो निष्कर्ष निकाला है उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	